

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री हेताराम चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 41/2019

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
श्रीमती हीरादेवी पुत्री श्री मंगनाराम पत्नि श्री जेठाराम जाति जाट निवासी चिन्दडी तहसील बावडी जिला जोधपुर		1 श्री कालुराम पुत्र श्री मंगनाराम 2 श्री नारायणराम पुत्र श्री मंगनाराम 3 श्रीमती सोनीदेवी पत्नि श्री नारुराम 4 श्रीराम पुत्र श्री नारुराम 5 श्री केसाराम पुत्र श्री नारुराम सभी जाति जाट निवासीगण भारीनगर तहसील बावडी जिला जोधपुर 6 श्रीमती रागीदेवी पुत्री श्री मंगनाराम पत्नि श्री कालुराम जाति जाट निवासी नांदिया तहसील बावडी 7 सरपंच, ग्राम पंचायत धनारीकला तहसील बावडी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 183  
दिनांक 20.11.1999 ग्राम भारीनगर, सरपंच, ग्राम पंचायत धनारीकला द्वारा स्वीकृत


उपस्थित: 1 श्री प्रेमकुमार दिशिनोई, अधिवक्ता अपीलार्थी ।  
2 श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स ।

निर्णय


दिनांक 03.09.2019

अपील अपीलार्थी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भारीनगर तहसील बावडी की सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 585 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 587 रकबा 8.18 बीघा, ख0नं0 704 रकबा 8.18 बीघा, ख0नं0 718 रकबा 7.18 बीघा, ख0नं0 685 रकबा 41.10 बीघा एवं ख0नं0 717 रकबा 1.01 बीघा कुल रकबा 75.10 बीघा आयी हुई है । जिसके खातेदार मंगनाराम, खेमाराम, कुम्बाराम पिता तुलछाराम के नाम दर्ज थी, मंगनाराम की वंशावली निम्न है



  
उपखण्ड अधिकारी, बावडी  
जिला जोधपुर

(2)



मगनाराम फौत होने पर उनके वारिसान् नारुराम, कालुराम, नारायणराम व पत्नि मानीदेवी के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया, तथा मानीदेवी मगनाराम की पत्नि थी, जिसका देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान् अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट्स है, जबकि अपीलार्थी हीरादेवी एवं रेस्पोंडेन्ट्स सं० 8 श्रीमती रामीदेवी भी मगनाराम की जायन्दा पुत्री है, तथा अपीलार्थी श्रीमती हीरादेवी का मगनाराम के जीवनकाल में जन्म हो गया था, इस कारण जन्म से ही अपीलार्थी को उक्त भूमि पर बहैसियत विधिक उत्तराधिकार से खातेदार हो गये। इस प्रकार से अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार मिल गये। जिससे अपीलार्थी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा अपीलार्थी के पिता फौत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स सं० 1 व 2 और नारुराम के वारिसानों ने कर्मचारियों से मिलावट करके अपने अकेलों के नाम से दर्ज करवा लिया गया, परन्तु अपीलार्थी श्रीमती हीरादेवी पुत्री होने के नाते उनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थी के पिता मगनाराम के देहान्त हो जाने के पश्चात् अपीलार्थी नामान्तरकरण गलत एवं गैर कानूनी तरीके से रेस्पोंडेन्ट्स ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया, परन्तु अपीलार्थी स्व० मगनाराम की पुत्री होने से उन्हें बिना सुने, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी तरीके से अपीलार्थी नामान्तरकरण भरा, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा निम्न आधाराओं पर यह अपील प्रस्तुत है।

-आधार-

- 1 अपीलार्थी नामान्तरकरण में विधि एवं तथ्यों की मूल होने से निरस्त योग्य है।
- 2 अपीलार्थी स्व. मगनाराम की पुत्री है, तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है।
- 3 अपीलार्थी श्रीमती हीरादेवी पुत्री होने के नाते उनका नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया।
- 4 अपीलार्थी नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- 5 अपीलार्थी नामान्तरकरण रेस्पोंडेन्ट्स सं. 1 व 2 एवं 3 से 5 के पिता स्व. मगनाराम के पुत्रों के नाम दर्ज किया, जबकि अपीलार्थी मगनाराम की जायन्दा पुत्री होने के नाते उनका नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया।
- 6 अपील के साथ परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है, तथा अपीलार्थी को जानकारी होने से समय अवधि में अपील पेश की जा रही है।
- 7 अन्य वजुहात बरवक्त बहस श्रीमान् से अनुमति प्राप्त कर अर्ज किये जायेंगे।



  
उपसंहार अधिकारी, बावडी  
जिला जोधपुर

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 20.11.1999 ग्राम भारीनगर तहसील बावडी जो सरपंच ग्राम पंचायत धनारीकला द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जावे एवं स्व० मगनाराम के सभी वारिसानों की जांच कर अपीलार्थी का भी उक्त भूमि में नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे ।

रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट्स की और से वकील श्री रूघाराम चौधरी उपस्थित एवं जबाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया । अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की बहस सुनी गई

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में बताया गया कि ग्राम भारीनगर तहसील बावडी की सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 4 बीघा, ख०नं० 585 रकबा 4 बीघा, ख०नं० 587 रकबा 8.18 बीघा, ख०नं० 704 रकबा 8.18 बीघा, ख०नं० 718 रकबा 7.18 बीघा, ख०नं० 685 रकबा 41.10 बीघा एवं ख०नं० 717 रकबा 1.01 बीघा कुल रकबा 75.10 बीघा आयी हुई है । जिसके खातेदार मगनाराम, खेमाराम, कुम्भाराम पिता तुलछाराम के नाम दर्ज थी। मगनाराम फौत होने पर उनके वारिसान् नारूराम, कालुराम, नारायणराम व पत्नि मानीदेवी के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया, तथा मानीदेवी मगनाराम की पत्नि थी, जिसका देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान् अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स है, जबकि अपीलार्थी हीरादेवी एवं रेस्पोडेन्टस् सं० 6 श्रीमती रामीदेवी भी मगनाराम की जायन्दा पुत्री है, तथा अपीलार्थी श्रीमती हीरादेवी का मगनाराम के जीवनकाल में जन्म हो गया था, इस कारण जन्म से ही अपीलार्थी को उक्त भूमि पर बहैसियत विधिक उत्तराधिकार से खातेदार हो गये । इस प्रकार से अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार मिल गये। जिससे अपीलार्थी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा अपीलार्थी के पिता फौत होने पर रेस्पोडेन्ट्स सं० 1 व 2 और नारूराम के वारिसानों ने कर्मचारियों से मिलावट करके अपने अकेलों के नाम से दर्ज करवा लिया गया, परन्तु अपीलार्थी श्रीमती हीरादेवी पुत्री होने के नाते उनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया । अपीलार्थी के पिता मगनाराम के देहान्त हो जाने के पश्चात् अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत एवं गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ट्स ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया, परन्तु अपीलार्थी स्व० मगनाराम की पुत्री होने से उन्हें बिना सुने, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया ।

अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 20.11.1999 ग्राम भारीनगर तहसील बावडी जो सरपंच ग्राम पंचायत धनारीकला द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जावे एवं स्व० मगनाराम के सभी वारिसानों की जांच कर अपीलार्थी का भी उक्त भूमि में नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील के साथ प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा 20 वर्ष पुराने स्वीकृत नामान्तरकरण के खिलाफ अपील को म्याद बाहर बताते हुए बिना कोई ठोस कारण के प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । मगनाराम फौत होने पर उनके वारिसान् नारूराम, कालुराम, नारायणराम व पत्नि मानीदेवी के नाम से फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किया गया, तथा मानीदेवी मगनाराम की पत्नि थी, जिसका देहान्त हो चुका है, जिसके वारिसान् अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स है, जबकि अपीलार्थी हीरादेवी एवं रेस्पोडेन्टस् सं० 6 श्रीमती रामीदेवी भी मगनाराम की जायन्दा पुत्री है, तथा अपीलार्थी श्रीमती हीरादेवी का मगनाराम के जीवनकाल में जन्म हो गया था, इस कारण जन्म से ही अपीलार्थी को उक्त भूमि पर बहैसियत विधिक उत्तराधिकार से



उपसचिव, बावडी  
जिला जोधपुर

खातेदार हो गये । इस प्रकार से अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार मिल गये। जिससे अपीलार्थी को अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता तथा अपीलार्थी के पिता फौत होने पर रेस्पोडेन्ड्स सं० 1 व 2 और नारूराम के वारिसानों ने अपने अकेलों के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया गया, परन्तु अपीलार्थी श्रीमती हीरादेवी पुत्री होने के नाते उनके नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया । अपीलार्थी के पिता मगनाराम के देहान्त हो जाने के पश्चात् अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत एवं गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेन्ड्स ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया, परन्तु अपीलार्थी स्व० मगनाराम की पुत्री होने से उन्हें बिना सुने, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये गैर कानूनी तरीके से अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया । अपीलार्थी स्व. मंगनाराम की पुत्री है, तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है । अपील के साथ परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है, तथा अपीलार्थी को जानकारी होने से समय अवधि में अपील पेश की गई है । अपीलाधीन नामान्तरकरण में विधि एवं तथ्यों की भूल होने से निरस्त योग्य है । अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है ।

#### आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 20.11.1999 ग्राम भारीनगर तहसील बावडी जो सरपंच ग्राम पंचायत धनारी कला द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त किया जाता है, और तहसीलदार बावडी को आदेश दिया जाता है कि स्व. मगनाराम के विधिक वारिसानों की जांच कर अपीलार्थी का उक्त भूमि में नया नामान्तरकरण खोल करके के नाम दर्ज किया जावे । तहसीलदार बावडी को पालनार्थ तहरीर जारी हो ।



  
(हेताराम चौहान)  
उपस्थान अधिकारी, बावडी  
जिला जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(हेताराम चौहान)  
उपस्थान अधिकारी, बावडी  
जिला जयपुर